

अल्पकालिक निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर में वर्ष 2021-22 में मानक मद-29(अनुरक्षण) के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेष मरम्मत कार्यों को कराये जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा दिनांक: १५/०१/2022 को आमंत्रित की जाती है। जो तददिनांक को ही अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत किये गये राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

कार्य का विवरण

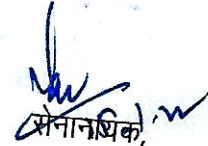
क्र०सं०	कार्य का विवरण	कराये जाने वाले कार्य की धनराशि	टेण्डर फॉर्म शुल्क	अर्नेस्ट मनी
1	वाहिनी आवासीय परिसर स्थित ब्लॉक संख्या 12 में आवास संख्या 112/113 के समाने का लगभग 40 फिट जर्जर छज्जा हटाकर उनके स्थान पर लोहे की ग्रिल लगाये जाने का कार्य।	49862/-	रु० 300/-	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
2	वाहिनी आवासीय परिसर स्थित ब्लॉक संख्या 12 में आवास संख्या 116/117 के समाने का लगभग 40 फिट जर्जर छज्जा हटाकर उनके स्थान पर लोहे की ग्रिल लगाये जाने का कार्य।	49862/-	रु० 300/-	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
3	वाहिनी आवासीय परिसर स्थित ब्लॉक संख्या 14 में आवास संख्या 143 के पीछे का लगभग 40 फिट जर्जर छज्जा हटाकर उनके स्थान पर लोहे की ग्रिल लगाये जाने का कार्य।	49862/-	रु० 300/-	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत

निविदा की शर्तें

1. निविदा फॉर्म दिनांक: १५/०१/2022 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से साँयकाल 1700 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रु० 300/- जमा कर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा दिनांक: १५/०१/2022 को 1300 बजे तक डाली जायेगी।
3. निविदा के साथ सम्बन्धित फॉर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि का स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फॉर्म को निविदा के साथ अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।
5. ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फॉर्म निविदा नहीं डाल सकेगें। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि उनकी फॉर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास रहेगा।
6. उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्तें निर्देश एवं आगणन, द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फॉर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
7. वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध-पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।
8. ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य का भली-भाँति निरीक्षण कर लें तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. एक कार्य के लिए एक ही निविदा मान्य होगी।
12. चालू वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

13. निविदा अद्योहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसी दिन दोपहर 1500 बजे खोली जायेगी।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध के पूर्व अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित करते हुए अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।
15. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है। वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।
16. बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।
18. अद्योहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
19. यदि ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
20. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद-सीतापुर होगा।

पत्र संख्या: भ-21/2021
दिनांक: जनवरी, 15, 2022


सेनानायक,
द्वितीय वाहिनी पीएसी,
सीतापुर

- प्रतिलिप :-** निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. कंट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सी०डी० संलग्न है)
 2. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
 3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन, उ०प्र० लखनऊ।
 4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ।
 5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद सीतापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार प्रसार कराने का भी कष्ट करें।
 6. सेनानायक, 11वीं/27वीं/एटीसी/पीटीसी/पुलिस अधीक्षक सीतापुर।
 7. जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन, उ०प्र० लखनऊ।


17/1/22